प्रेस नोट **06/03/2025**

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत शीतला माता मन्दिर में चोरी की घटना मे शामिल 01 नफर अन्तरजनपदीय चोर गिरफ्तार जिनके कब्जे से चोरी की कुल 41 अदद् पारदर्शी डिब्बे में सफेद व पीली धातु के चोरी के छोटे व बड़े जेवरात बरामद–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में महोदय द्वारा शीतला माता मन्दिर में चोरी की घटना के कुशल अनवारण हेतु कुल 03 टीमो का गठन किया गया था जो अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में विगत 02-03 दिनो से लगातार दिन व रात सीसीटीवी फुटेज आदि के अवलोकन करते हुए थाना कोतवाली नगर मऊ अन्तर्गत शीतला माता मन्दिर में चोरी की घटना मे शामिल शातिर चोर अभियुक्त दीपक राय पुत्र देवानन्द राय निवासी ग्राम बेटा बरकला थाना जमनिया जनपद गाजीपुर को कल दिनांक 05.03.2025 समय करीब 21.20 बजे मुहल्ला कासिम पोखरी थाना कोतवाली नगर मऊ से कुल 41 अदद् पारदर्शी डिब्बे में सफेद व पीली धातु के चोरी के छोटे व बड़े जेवरात के साथ गिरफ्तार किया गया। मुकदमा वादी द्वारा एफ.आई.आर. में कुल 50 नग जेवरात चोरी की बात की गयी थी जिसमे से कुल 41 नग जेवरात बरामद हो चुके है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ मे बताया गया है कि कुल 47 नग जेवरात चोरी किया गया था। कुल 97% चोरी के जेवरातो की बरामदगी हो चुकी है। उक्त अभियुक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर मऊ में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी व अनवारण का विवरण - उक्त अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त आपराधी है जो बड़े बड़े मन्दिरो में किमती मूर्ति व जेवरात आदि को चोरी कर घटना को अंजाम देते है जिन्हे पकड़ने हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ द्वारा कुल 03 टीमो का गठन किया गया था जो श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में कार्य कर रहे थे व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय खुद मौजूद रहकर गठीत तीनो टीमो का नेतृत्व कर रहे थे जिसका विवरण निम्न है -

टीम प्रथम – प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर व एसओजी व स्वाट टीम प्रभारी उ.नि. श्री प्रमोद कुमार सिंह जनपद मऊ द्वारा दबिश व सर्विलांस आदि का कार्य सम्पादित किया जा रहा था।

टीम द्वितीय – प्रभारी निरीक्षक शैलेश सिंह थाना सरायलखन्सी व प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा पूछताछ छानबीन आदि का कार्य सम्पादित किया जा रहा था।

टीम तृतीय – उ0नि0 ओम सिंह व उ.नि.अमित सिंह चौकी संस्कृत पाठशाला थाना कोतवाली नगर मऊ द्वारा सीसीटीवी फुटेज आदि का कार्य सम्पादित किया जा रहा था।

संबंधित अभियोग–

1. मु0अ0सं0 0072/25 धारा 331(4)/305(d)/317(2) बी.एस.एन. थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. दीपक राय पुत्र देवानन्द राय निवासी ग्राम बेटावर कला थाना जमनिया जनपद गाजीपुर।

बरामदगी –

41 अदद् पारदर्शी डिब्बे में सफेद व पीली धातु के चोरी के छोटे व बड़े जेवरात।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक राय–

1. मु0अ0सं0 0072/25 धारा 331(4)/305(d)/317(2) बी.एस.एन. थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 222/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस चितईपुर (कमिश्नरेट वाराणसी)।
3. मु0अ0सं0 503/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस लंका (कमिश्नरेट वाराणसी)।
4. मु0अ0सं0 504/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस लंका (कमिश्नरेट वाराणसी)।
5. मु0अ0सं0 378/21 धारा 147/427/504/.वि.द.भा 506 थाना जमनीया गाजीपुर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह, एसओजी / स्वाट टीम प्रभारी / सर्विलांस सेल जनपद मऊ मय टीम
3. प्रभारी निरीक्षक शैलेश सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
4. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
5. उ0नि0 ओम सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

नोट- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ द्वारा उक्त चोरी की घटना के अनावरण के सम्बन्ध में 25000-/ रुपये का ईनाम पुरस्कार स्वरुप दिया जा रहा है ।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 06.03.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त लालमोहन साहनी पुत्र स्व0 कलपू साहनी निवासी चिश्तीपुर थाना कोपागंज तथा थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त रासु सिंह पुत्र बीरबहादुर सिंह निवासी बकवल थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।